न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान ,आर.ए.एस.

मु.न. 102/2019

प्रार्थी

मदनसिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी बिजलिया तहसील सिवाना

जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रावताराम पुत्र श्री खुशालाराम जाति सुथार निवासी बिजलिया
2. गोविन्दराम पुत्र श्री तुलसाराम जाति सुथार निवासी बिजलिया
3. जोगाराम पुत्र श्री तुलसाराम जाति सुथार निवासी बिजलिया
4. शाखा प्रबन्धक एसबीआई एडीबी सिवाना
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (2) राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 रास्ता कायम करवाने बाबत्

उपस्थित :– **1. श्री कैलाशपुरी प्रार्थी अधिवक्ता**
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: आदेश :–

दिनांक :– 06.11.2020

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 203/73 रकबा 3.5612 हैक्टयर किस्म रेतली सरहद मौजा बिजलिया पटवार हल्का देवन्दी तहसील सिवाना में आवागमन हेतु बदिशा उतर में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 245/58 व 58 की माठ– माठ होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाता है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता प्रार्थी के खेत के बदिशा उतर में स्थित विप्रार्थीगण की कृषि भू[illegible] 245/58 व 58 की पूर्वी माठ– माठ होते हुए आगे राज[illegible] जाता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी [illegible] से सुचा[illegible]से खुला है। उक्त रास्ते पर आवागमन के बाबत् [illegible]प्रार्थीगण के हक पूर्वाधि[illegible] ने कभी कोई आपत्ति नहीं की लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर विरोध पैदा करने हेतु आमादा हुए तथा मौके पर अवरोध पैदा कर दिया तथा इसी रास्ते से प्रार्थी अपने ट्रैक्टर,हल,कृषि औजार को लाने ले जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan.
Date: 2021.01.09 11:17:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तथा आवगमन करता रहा है,इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं, अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 203/73 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 245/58 व 58 की भूमि में से 12 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट चाही गई । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

अज अदालत द्वारा जरिये पत्रांक वाचक/2019/311 दिनांक 04.10. 2019 के आराजी भूमि की मौका रिपोर्ट चाही गई । जो तहसीलदार सिवाना के द्वारा पत्रांक भू.अ./2019/4083 दिनांक 14.11.19 के द्वारा मौका जांचकर फर्द मौका मय मौका नक्शा प्रेषित की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार सिवाना से प्राप्त फर्द मौका अनुसार विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 58 की उत्तरी माठ रबरियों की ढाणी जाने वाली डामर सडक मौके पर बनी हुई है जो खातेदारो की सहमति से कृषि भूमि (खातेदारी) में मौके पर बनी हुई है उक्त सडक राजस्व रेकर्ड में कटान दर्ज नहीं है प्रार्थी द्वारा उक्त डामर सडक से विप्रार्थीग्ण के खसरा संख्या 58 व 245/58 में से आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु उक्त सडक के अलावा अन्य कोई कटान रास्ता उपलब्ध होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी के खेत के दक्षिण दिशा में एक नाला कटान है जो राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.नाला दर्ज है जो प्रतिवन्धित श्रेणी की भूमि है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 58 में प्रस्तावित रास्ते की भूमि की लम्बाई 20 गट्ठा x चौडाई 2 गट्ठा का 0.02 बीघा (0.0162 हैक्ट) तथा खसरा संख्या 245/58 में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 26 गट्ठा x चौडाई 2 गट्ठा का 0.02–12 बीघा (0.0210 हैक्ट) बनता है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। दौरान बहस प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 203/73 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 245/58 व 58 में से चल रहा रास्ता एक मात्र निकटतम एवं प्रचलित रास्ता है। जिसे रास्ता घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:09 IST
Reason: Self Attested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना के पत्रांक राजस्व/2019/4083 दिनांक 14.11.19 के द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थीगण के खेत में प्रस्तावित रास्ते की खसरा संख्या 58 की भूमि लम्बाई 20 गट्ठा चौडाई 2 गट्ठा का रकबा 0–02 बीघा (0.0162हैक्ट) खसरा संख्या 254/58 लम्बाई 20 गट्ठा चौडाई 2 गट्ठा का रकबा 0–02–12 बीघा (0.0210 हैक्ट) बनती है। रास्ते में प्रयुक्त हो रही भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

डीएलसी दर 585289/— रूपये प्रति हैक्टयर है। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि प्रभावित खातेदार विप्रार्थीगण को अदा किये जाने हेतु सहमत है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजलीया खेत खसरा संख्या 203/73 रकबा 3.5612 हैक्टयर में आवगमन हेतु की खसरा संख्या 58 की भूमि लम्बाई 20 गट्ठा चौडाई 2 गट्ठा का रकबा 0—02 बीघा (0.0162 हैक्ट) खसरा संख्या 254/58 लम्बाई 20 गट्ठा चौडाई 2 गट्ठा का रकबा 0—02—12 बीघा (0.0210हैक्ट) रास्ता निकालने की आदेश दिया जाता है। आदेशानुसार प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के रकबे की गणना करके तहसीलदार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो डीएलसी निर्धारित आदेश को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थी द्वारा नये प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपारान्त हीं तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। नये 2 गट्ठा चौडा रास्ते में होने वाली भूमि के सम्बन्घ में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थी के इस प्रकार दर्ज खसरा संख्या 58 की भूमि लम्बाई 20 गट्ठा चौडाई 2 गट्ठा का रकबा 0—02 बीघा (0.0162 हैक्ट) खसरा संख्या 254/58 लम्बाई 20 गट्ठा चौडाई 2 गट्ठा का रकबा 0—02—12 बीघा (0.0210 हैक्ट) भूमि को रास्ते के रूप में (A से B) तक उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2019/4083 दिनांक 14.11.19 द्वारा प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:11:09 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 06.11.2020 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नक्शा किश्तवार (आंशिक)
मौजा वीज़ीलिया
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
पैमाना 1 इन्च = 80 कड़ी

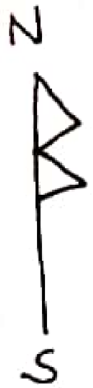

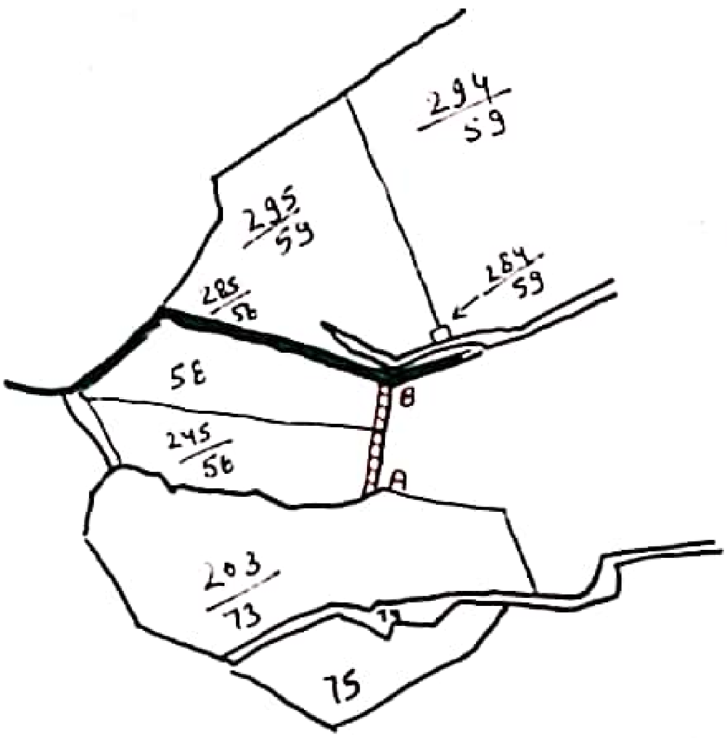

स्वीकृत
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

सत्य प्रतिलिपि
सरकारी प्रयोजनार्थ निःशुल्क जारी की गई

संकेत

▨▨▨▨ प्रस्तावित रास्ता
▬▬▬ डामर सड़क

09/10/19
पटवारी (भू.अ.) देवन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:09 IST
Reason: SelfAttested

09/10/19
पटवारी देवन्दी

09/10/19
ILR सिवाना

तहसीलदार, सिवाना